

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899
No 82] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे एक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

कां० आ० 104 (अ) —आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18)
के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात
(नियंत्रण) आदेश, 1977 में प्रागैशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती
है —

- 1 इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।
- 2 निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची-1 के भाग "क" में सब सख्या 4J के स्थान पर निम्नलिखित सब प्रतिस्थापित की जाएगी —
"13—5 एस और इससे कम के काउन्ट्स में सभी प्रकार का सूती धागा परम्पु
टायर रज्जू धागे को छोड़कर।"

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 की अनुसूची I के भाग "ख" में क्रम सं० 69 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—
"69—6एस और इससे ऊपर के काउन्ट्स में सभी प्रकार का सूती धागा और टायर रज्जू धागा भी।"
4. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खुला सामान्य लाइसेन्स-3 में कालम-2 में क्रम सं० 33 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—
"33—6एस और इससे ऊपर के काउन्ट्स की गणना में सभी प्रकार का सूती धागा और टायर रज्जू धागा भी।"

[सं० 2/8/77 ई।—सं० ई (सी) भो, 1977/ए एम(40)]

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 104 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventh Amendment Order, 1978.
2. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977, item No. 43 shall be substituted by the following :—
"43. Cotton yarn of all types in counts of 5s and below but excluding tyre cord yarn."
3. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977 the existing entry against S. No. 69 shall be substituted by the following :—
"69. Cotton yarn of all types in counts of 6s and above as well as tyre cord yarn."
4. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGI-3, in Column 2, the existing entry against S. No. 33 shall be substituted by the following :—
"33. Cotton yarn of all types in counts of 6s and above as well as tyre cord yarn."

[No. 2/6/77/EI—No. E(C)O, 1977/AM(40)]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports